राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(38)परि/नियम/मु./विंटेजवाहन/2021/789। जयपुर, दिनांकः 11/04/2022

कार्यालय आदेश संख्या 04/2022

विषयः– विंटेज वाहनों के पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर यानों की विरासत को सुरक्षित रखने के उद्धेश्य से अधिसूचना जी.एस.आर 492(ई) दिनांक 15.07.2021 जारी की गई। इस हेतु विंटेज मोटर यानों के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. प्रथम विक्रय के पश्चात् प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे दुपहिया (एल–1 एवं एल–2 प्रवर्ग) एवं चौपहिया (एम–1 प्रवर्ग) वाहन (जिसमें भारत में आयातित वाहन भी सम्मिलित हैं), जिन्हें मूल रूप में रखा गया हो तथा उनमें कोई सारवान परिवर्तन नहीं किया गया हो, को विंटेज मोटर यान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. विटेंज मोटरयान के रूप में रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारूप–20 में किया जायेगा, जिसके साथ बीमा पॉलिसी, नियम 81 मे यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस, आयातित विटेंज मोटरयानों की दशा में प्रवेश पत्र, भारत में पहले रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जायेंगे।
3. विन्टेज मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण हेतु संपूर्ण राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में राज्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी परिवहन मुख्यालय पर पदस्थापित संयुक्त परिवहन आयुक्त(नियम) होगा।
4. **विन्टेज मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण हेतु वाहन स्वामी द्वारा आवेदन संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। उक्त आवेदन के दस्तावेजो का परीक्षण, वाहन का निरीक्षण एवं निर्धारित फीस लिए जाने के उपरान्त जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आवेदन को वाहन पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन हेतु राज्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, तत्पश्चात विंटेज मोटरयानों को पंजीयन क्रमांक आवंटित होने के उपरांत आर. सी. प्रिन्ट करवाना एवं पत्रावलियों का संधारण करवाना भी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा।**
5. राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकृत विंटेज मोटर यान स्वामी को आवेदन प्राप्ति से 60 दिन के भीतर प्रारूप 23 क में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
6. चौपहिया (एम–1 प्रवर्ग) विन्टेज मोटर यानो पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह निम्नलिखित प्रारूप एवं रीति से राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जायेगा :–

"XXVAYY****"

XX –राज्य कोड (RJ)

VA- विन्टेज

YY – दो अक्षर की श्रृंखला (CA,CB,CC.....)

Scanned with CamScanner

**** -संख्याक 0001 से 9999

7. दुपहिया (एल–1 एवं एल–2 प्रवर्ग) विन्टेज मोटर यानो पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह निम्नलिखित प्रारूप एवं रीति से राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जायेगा :–

"XXVAYY****"

XX –राज्य कोड (RJ)

VA- विन्टेज

YY – दो अक्षर की श्रृंखला (SA,SB,SC.....)

**** -संख्याक 0001 से 9999

8. विंटेज वाहनो के रूप में रजिस्ट्रीकरण एवं पुनः रजिस्ट्रीकरण / नवीनीकरण देय शुल्क निम्नानुसार होगा–

"16	विंटेज मोटर यानों के रूप में रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना	बीस हजार	81ग
17	विंटेज मोटर यानों के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का पुनः रजिस्ट्रीकरण /नवीकरण	पांच हजार	81ग"

9. विन्टेज मोटरयानों के लिये विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिये ली जाने वाली शुल्क राशि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार लिया जायेगा।

10. विन्टेज मोटरयानों को क्रम से पूर्व पंजीयन क्रमांक आवंटन एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन हेतु वर्तमान में चल रही सीरीज से प्रथम अग्रिम सीरीज तक खोली जाती है।

11. विन्टेज मोटरयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत यान का नियमित प्रयोजनों अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सडकों पर चलाये या उपयोग मे नहीं लिये जा सकेगें।

12. विन्टेज मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा एवं तत्पश्चात् पश्चात्वर्ती 5 वर्षो के लिए नवीकरणीय होगा।

13. प्रथम विक्रय के पश्चात् प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के निरीक्षण के समय यह सुनिनिश्चत किया जाये कि वाहन मूल रूप (चेसिस, बॉडी शेल, ईजन इत्यादि) में हो तथा उनमें कोई सारवान परिवर्तन नहीं किया गया हो एवं उक्त तथ्य का उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से किया जाए।

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विटेंज वाहनों के पंजीयन के संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार कर वाहन मालिकों को उक्त प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रंमाकःएफ 7(38)परि/नियम/मु./विंटेजवाहन/2021/7892-7898 जयपुर, दिनांकः 11/04/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner